न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा।

दाखिल–खारीज अपील वाद संख्या–18 / 2020

प्रसंगः–किशोर कुमार चरण पहाडी बनाम झारखण्ड राज्य

21/01/21

आदेश

प्रस्तुत वाद अपीलार्थी किशोर चरण पहाड़ी, पिता–स्व0 राजेन्द्र प्रसाद चरण पहाड़ी, साकिन–ताराटांड, पो0–झुमरीतिलैया, थाना–तिलैया, जिला–कोडरमा के द्वारा दिनांक–24.02.2020 को विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन देकर अंचल अधिकारी, कोडरमा के दाखिल–खारीज वाद संख्या–1109 R27/2019-20 में किशोर चरण पहाड़ी की भूमि की दाखिल–खारिज आवेदन को किया गया अस्वीकृत के विरूद्ध अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलार्थी की ओर समर्पित आवेदन पर वाद प्रारंभ कर संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत कर कारण–पृच्छा एवं भूमि से संबंधित दावे के समर्थन में कागजात की मांग की गई।

साथ ही अपीलार्थी के द्वारा समर्पित मूल आवेदन के वर्णित बिन्दुओं पर इस कार्यालय के पत्रांक–580 / रा0 दिनांक–28.12.2020 द्वारा अंचल अधिकारी, कोडरमा से कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज एवं स्थल जाँचोंपरान्त प्रतिवेदन की मांग की गई, जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, कोडरमा के पत्रांक–53 दिनांक–16.01. 2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

अंचल अधिकारी, कोडरमा द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि दाखिल–खारिज वाद संख्या–1109 R27/2019-20 अंचल कार्यालय, कोडरमा में ऑन–लाईन किया गया, जिसमें झारभूमि पोर्टल पर दस्तावेज सत्यापन हेतु नहीं खुल पाया, जिसके कारण किशोर चरण पहाड़ी द्वारा दाखिल–खारिज हेतु समर्पित आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। साथ ही निबंधित केवाला संख्या–696 / 667 दिनांक–18.03.2017 को श्री श्री रक्षा काली माता ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी उत्पल सामान्तो, पिता–स्व0 अजीत कुमार सामान्तो, साकिन–कानूनगोबिगहा, थाना– कोडरमा, जिला–कोडरमा के माध्यम से अपीलार्थी को बिक्री किया गया है, जिसके कारण अपीलार्थी द्वारा समर्पित आवेदन को स्वीकृत करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अंचल अधिकारी, कोडरमा के उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अपीलार्थी का आवेदन अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, कोडरमा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

21-01-21

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
कोडरमा।

21-01-21

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
कोडरमा।